भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1144
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

विमुक्त जनजातियों के बच्चों को शिक्षा के विशेष अवसर

1144. **श्री रमाशंकर राजभर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;
(क) क्या विमुक्त जनजातियों के बच्चों को शिक्षा के विशेष अवसर प्रदान किए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो अब तक कितने छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान किए गए हैं;
(ग) क्या देश में छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) इस योजना से अब तक कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं; और
(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर को कम करने का है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था का प्रावधान है।

एनईपी, 2020 'समतापूर्ण और समावेशी शिक्षा' पर केंद्रित है, जो इस विचार को प्रतिध्वनित करती है कि किसी भी बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के कारण शैक्षिक अवसर के संदर्भ में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के समन्वय से सम्पूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक विस्तारित एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी) के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग

(ईबीसी) और विमुक्त जनजाति (डीएनटी) के छात्रों की शिक्षा और कल्याण के लिए सहायता प्रदान करता है। इन उप-योजनाओं का विवरण और लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**योजना/परियोजना/कार्यक्रम का नाम**	**वर्ष 2023-24 के दौरान ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लाभार्थियों की संख्या**
1	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	19.87 लाख
2	भारत में अध्ययनरत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	32.73 लाख
3	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में उच्च श्रेणी की शिक्षा	3344 (वास्तविक)
4	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए महाविद्यालयों में उच्च श्रेणी की शिक्षा	5099 (वास्तविक)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत डीएनटी छात्रों का कोई अलग से डाटा नहीं रखा जाता है।		
5	राष्ट्रीय प्रवासी योजना	3 (डीएनटी विद्यार्थी)

(ग) से (ङ): शिक्षा मंत्रालय "प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना" नामक प्रमुख योजना के अंतर्गत तीन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात् (i) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएसएस); (ii) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए एसएसएस) (iii) पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि इन योजनाओं के योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु देश के सभी श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

इसके अतिरिक्त, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक 06.11.2024 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों के मेधावी छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य व्ययों की पूरी राशि को कवर करने के लिए संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है और इसके अतिरिक्त, अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी सहायता उन छात्रों हेतु जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक हैं और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

******